भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2874

24 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि त्वरक निधि

2874. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार देश में बढ़ते एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप्स की वित्तीय आवश्यकताओं पर किस प्रकार ध्यान देने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि पद्धितियों में सुधार के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न एग्रीटेक स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाएं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न एग्रीटेक स्टार्टअप्स द्वारा विकसित उत्पादों के वितरण और प्रवर्धन को सुव्यवस्थित करने और इसमें बिचौलियों को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कृषि-उद्यमियों द्वारा लाए गए नवीन और अभिनव समाधानों को शामिल करके कृषि प्रणालियों का आधुनिकीकरण शामिल है। तदनुसार डीएएंडएफडब्ल्यू वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और देश में एक इंक्यूबेशन पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

इस विभाग ने स्टार्टअप के इंक्यूबेशन और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए देश भर से पांच नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और चौबीस आरकेवीवाई कृषि विपणन इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) को नियुक्त किया है। कार्यक्रम के तहत, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में उद्यमियों को अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए आईडिया /प्री सीड चरण में 5.00 लाख रुपये और सीड चरण में 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

अब तक कुल 1138 कृषि स्टार्टअप को इस कार्यक्रम के तहत 70.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। स्टार्टअप्स को उनके उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफार्मों आदि को बाजार में लॉन्च करने और उन्हें व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों

और प्रचालन को उन्नत बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यक्रम के तहत समर्थित कृषि-स्टार्ट-अप आइडिया से स्केलिंग और विकास चरण तक कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये कृषि-स्टार्टअप कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सुव्यवस्थित कृषि, कृषि यंत्रीकरण, कृषि लौजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला, अपशिष्ट से धन, जैविक खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदिमें कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम के तहत नियुक्त विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) में स्टार्ट-अप्स को प्रशिक्षित और इनक्यूबेट किया जाता है। इन स्टार्टअप्स द्वारा विकसित तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं का मूल्यांकन केपी और आर-एबीआई द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उनकी उपयोगिता और प्रभाव के संदर्भ में किया जाता है। इसके अलावा, केपी और आर-एबीआई इन स्टार्टअप्स के उत्पाद और प्रौद्योगिकी वैधीकरण, बाजार लिंकेज, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, वितरण को सुव्यवस्थित करके और उत्पाद और प्रचालन आदि को अपस्केल करके उन्हें विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ जोड़कर बढ़ावा दे रहे हैं। भारत सरकार कृषि-स्टार्टअप कॉन्क्लेव, कृषि मेले और प्रदर्शनियों, वेबिनार, कार्यशालाओं सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि कृषि स्टार्टअप्स को विभिन्न हितधारकों के साथ जोड़कर उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया जा सके। इस तरह के कार्यक्रम प्रत्यक्ष बाजार पहुंच के रूप में कार्य करते हैं और स्टार्टअप्स के लिए एक प्रभावी विपणन उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। हितधारकों को बिना किसी बिचौलिए के कृषि स्टार्टअप के साथ बातचीत करने का सीधा अवसर मिलता है।

****